अध्याय-IV : अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करना

4.1 परिचय

2030 कार्यसूची अपने प्रभावी एवं शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर व्यवस्थित जांच, अनुवीक्षण तथा प्रगति की समीक्षा की परिकल्पना करती है। कार्यसूची में निर्धारित किया गया है कि समीक्षा फ्रेमवर्क का आधारभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर होगा जिसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। प्रारम्भिक स्तर पर ये समीक्षाएं तैयारी की गतिविधियों तथा उसके बाद एसडीजी के वास्तविक कार्यान्वयन एवं कार्यक्रमों के रिपोर्ट करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगी। लेखापरीक्षा ने अनुवीक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं की मौजूदगी, एसडीजी कार्यान्वयन पर अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने हेतु निष्पादन संकेतकों के चिन्हिकरण तथा गुणवत्तायुक्त एवं असमान डाटा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रणाली के मद्देनजर अनुवीक्षण एवं समीक्षाओं की तैयारियों की जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत पैराग्राफों में दिए गए हैं।

4.2 अनुवीक्षण तथा रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को एसडीजी एवं संबंधित उद्देश्यों के लिए अनुवीक्षण संकेतकों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांख्यिकी मंत्रालय (एमओएसपीआई) के लिए संकेतकों, आवधिकता, डाटा स्रोतों को निर्धारित करना तथा डैशबोर्डों सहित रिपोर्ट करने के तंत्रों को तैयार करना अपेक्षित है। डाटा स्रोत मंत्रालयों, संबंधित यूएन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ समन्वय करने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय में एक एसडीजी इकाई बनायी गई है।

सांख्यिकी मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) तैयार किया है एवं सरकार ने एसडीजी और उद्देश्यों की अनुवीक्षा करने हेतु एनआईएफ की समय-समय पर समीक्षा करने एवं संशोधन करने के लिए सचिव, सांख्यिकी मंत्रालय की अध्यक्षता

के तहत उच्च-स्तरीय संचालन समिति के गठन के लिए अनुमोदन दिया (अक्तूबर 2018) है। सांख्यिकी मंत्रालय ने समिति के गठन और संदर्भ की शर्तो को अंतिम रूप (जनवरी 2019) दे दिया है।

नीति आयोग जोकि एसडीजी के कार्यान्वयन के समन्वय एवं पर्यवेक्षण करने हेतु जिम्मेदार प्रमुख (नोडल) संस्था है, ने सूचित किया था कि वह एनआईएफ को अन्तिम रूप दिये जाने के लंबित समय में बहुआयामी अनुशासनिक कार्यबल, केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ आवधिक समीक्षाओं एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के योजना विभागों के माध्यम से एसडीजी के संबंध में प्रगति की समीक्षा कर रहा था।

चयनित राज्यों में इस पहलू की जांच से प्रगति के विभिन्न स्तर सामने आए हैं जिनकी **तालिका 4.1** में चर्चा की गयी है।

तालिका 4.1: चयनित राज्यों में अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने हेतु संस्थागत व्यवस्था

असम	प्रमुख विभाग ने अभी तक कोई भी अनुवीक्षण तंत्र तैयार नहीं किया था तथा यह बताया कि यह कार्य आईटी आधारित प्लेटफॉर्म द्वारा पूरा किया जाएगा जिसे अभी विकसित किया जाना था।
छत्तीसगढ़	एसडीजी हेतु राज्य प्रमुख संगठन ने सूचित किया (जून 2019) कि अनुवीक्षण हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं की जाएंगी।
हरियाणा	राज्य में, एसडीजी समन्वय केन्द्र को अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने के उद्देश्यों हेतु प्रमुख अभिकरण के रूप में परिकल्पित किया गया था।
केरल	एक राज्य अनुवीक्षण समूह और एक राज्य संचालन समूह को एसडीजी के संबंध में प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग को डाटा प्रबंधन हेतु प्रमुख विभाग के रूप में नामित किया गया है।
महाराष्ट्र	राज्य एवं जिला स्तरों पर अनुवीक्षण प्रणाली के परस्पर विकास हेतु यूएन इंडिया के साथ राज्य ने एक एमओयू पर करार किया है।
उत्तर प्रदेश	राज्य स्तर पर एसडीजी के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा हेतु एक अनुवीक्षण समिति गठित (जनवरी 2018) की गई थी। जिलों एवं निम्न स्तरों पर प्रत्येक लक्ष्य के संबंध में इसी तरह का कार्य अभी शुरू किया जाना था।
पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार ने सूचित किया कि एक राज्य डैशबोर्ड के माध्यम से अनुवीक्षण प्रणाली विकसित होगी जो प्रारंभिक स्तर पर थी।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जबकि केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एसडीजी के अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कुछ पहल की गई थी, फिर भी ये कार्य प्रगति स्तर पर था। इस मामले में प्रगति एनआईएफ को अंतिम रूप देने में तथा अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने हेतु अपेक्षित संस्थागत तंत्रों को स्थापित करने में विलंब से बाधित हुई है।

4.3 संकेतक, डाटा उपलब्धता, अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करना

केन्द्रीय स्तर

4.3.1 संकेतक, बेसलाइन डाटा एवं 'मुख्य-पड़ाव'

एसडीजी पर एक वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (जीआईएफ) के विकास हेतु यू.एन. द्वारा (मार्च 2015) एक अंतर-अभिकरण एसडीजी विशेषज्ञ समूह (आईएईजी-एसडीजी) का गठन किया गया था जिसमें भारत को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आईएईजी-एसडीजी की सिफारिशों के आधार पर, 232 वैश्विक संकेतकों सहित जीआईएफ को जुलाई 2017 में यूएन महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। जीआईएफ में, विधिवत विकास के स्तर एवं डाटा उपलब्धता के आधार पर, संकेतक को, श्रेणी-I, श्रेणी-II एवं श्रेणी-III[15] के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस मुद्दे की जांच में यह सुनिश्चित किया गया कि क्या डाटा अनुपलब्धता का आकलन किया गया था, संकेतक तथा बेसलाइन स्थापित किये गये हैं तथा कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने हेतु 'मुख्य-पड़ाव' (माइलस्टोन्स) निर्धारित किये गये हैं जिसके निष्कर्षों पर चर्चा निम्नवत है:

क) केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के परामर्श से, सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत सरकार (जी.ओ.आई.) (जून 2017) का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एनआईएफ का प्रारूप तैयार किया। जनवरी 2018 में, एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

---

15 **श्रेणी-I** - अवधाराणात्मक रूप से स्पष्ट संकेतक, स्थापित कार्यप्रणाली, उपलब्ध मानक एवं नियमित रूप से प्रस्तुत डाटा। **श्रेणी-II** - अवधाराणात्मक रूप से स्पष्ट संकेतक, स्थापित कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध मानक परन्तु डाटा नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। **श्रेणी-III** - संकेतक जिनके लिए कोई भी स्थापित कार्यप्रणाली एवं मानक नहीं है या कार्यप्रणाली/मानकों का विकास/जांच की जा रही है।

जिस पर अक्तूबर 2018 तक कोई निर्णय उपलब्ध नहीं कराया गया था अंतत: भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया कि सांख्यिकी मंत्रालय एनआईएफ पर स्वयं निर्णय ले सकता है। अतः एनआईएफ पर निर्णय लेने में परिहार्य विलम्ब था जिससे डाटा अनुपलब्धता का मूल्यांकन एवं बेसलाइन डाटा की तैयारी जैसे कार्यों में रुकावट आई है जिसके लिए सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में केंद्रीय मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए गये।

ख) एनआईएफ में 306 संकेतक हैं परंतु इसमें 13 लक्ष्यों से संबंधित 41 उद्देश्यों[16] के संबंध में संकेतक शामिल नहीं है। सांख्यिकी मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि कई उद्देश्य हैं जिनके लिए या तो सूचक/स्वीकृत कार्यप्रणाली नहीं हैं/या विकसित की जा रही है जिनके लिए डाटा नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। इसी संदर्भ में समय-समय पर एमआईएफ की समीक्षा एवं संशोधन के लिये उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ।

ग) जीआईएफ ने संकेतकों को श्रेणी I से III तक वर्गीकृत किया। फिर भी, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एनआईएफ में ऐसा कोई वर्गीकरण इस आधार पर नहीं किया गया है कि एनआईएफ में शामिल सभी संकेतकों के डाटा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध होंगे, अतः श्रेणी-वार वर्गीकरण की जरूरत नहीं थी। तथापि, यह नोट किया गया कि एनआईएफ हेतु अपने प्रस्ताव में सांख्यिकी मंत्रालय ने कई संकेतकों के अस्तित्व को चिन्हित किया जिसके लिए डाटा को नियमित रूप से तैयार नहीं किया जा रहा था या कार्यप्रणाली को विकसित नहीं किया गया था। श्रेणीवार संकेतकों के गैर वर्गीकरण के कारण डाटा मानकों एवं कार्यप्रणाली की उपलब्धता के अनुसार अपर्याप्त रूप से मूल्यांकित किए जाने का जोखिम है जो परिणामों को मापने हेतु उनकी उपयोगिता को प्रभावित करेगा।

घ) सांख्यिकी मंत्रालय ने लेखापरीक्षा (जुलाई 2018) को सूचित किया कि संकेतकों हेतु किसी भी 'मुख्य-पड़ावों' को बनाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[16] एसडीजी 17 हेतु सभी 19 उद्देश्य शामिल।

'मुख्य-पड़ाव' का गैर-चिन्हिकरण, संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्य योजना नीति तैयार करने को प्रभावित कर सकता है।

ड़) सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ के लिए एक बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 (मार्च 2019) जारी की। यह रिपोर्ट 306 राष्ट्रीय संकेतकों में से 169 के लिए बेसलाइन व मेटाडाटा का प्रावधान करती है जोकि नीति बनाने, योजना बनाने आदि में एक साधन का कार्य करेगा।

4.3.2 एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट 2018

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य हितधारक के सहयोग से तैयार की गई एसडीजी भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2018 एवं डैशबोर्ड (दिसम्बर 2018) जारी की है। एसडीजी सूचकांक की परिकल्पना एसडीजी के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है। सूचकांक 13 लक्ष्यों एवं 39 उद्देश्यों से संबंधित 62 प्राथमिकता संकेतकों पर आधारित है। यह रिपोर्ट प्राथमिकता संकेतकों को चुनने हेतु आधार उपलब्ध कराती है, डाटा चुनौतियों, सूचकांक के लाभों एवं सीमाओं को चिन्हित करती है तथा एक निर्धारित कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को एसडीजी पर उन्हें रैंकिंग करके प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

सूचकांक की उपयोगिता उन्नत डाटा की उपलब्धता तथा लक्ष्यों/उद्देश्यों एवं संकेतकों के संदर्भ में कार्यक्षेत्र में वृद्धि पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, चूंकि सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ पर आधारित डैशबोर्ड को स्थापित करने का कार्य शुरू किया है इसलिए दो फ्रेमवर्कों की उपस्थिति के कारण हितधारकों के बीच किसी भी अस्पष्टता की सम्भावना को बाद की स्थिति में टालना जरूरी होगा।

नीति आयोग ने बताया (मार्च 2019) कि सीमित संकेतकों सहित एसडीजी सूचकांक का उद्देश्य साधन को अधिक आसान और व्यापक रूप से इस्तेमाल करने योग्य बनाना तथा डाटा चुनौतियों की भारिता को कम करना था। यह भी बताया कि एसडीजी सूचकांक में शामिल संकेतक, एनआईएफ का उप-समुच्चय है और कोई भी समानांतर फ्रेमवर्क नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनआईएफ बेसलाइन

रिपोर्ट के अनुसार, 14 प्राथमिकता संकेतकों के संबंध में डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं था। नीति आयोग ने बताया (मई 2019) कि एसडीजी भारत सूचकांक का अगला संस्करण एनआईएफ से लिए गए संकेतकों पर आधारित होगा।

4.3.3 गुणवत्ता एवं डाटा विविधता की उपलब्धता

जैसा कि वीएनआर (जुलाई 2017) में बताया गया कि आंकड़ों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित करने एवं डाटा उपलब्धता में अंतरालों को चिन्हित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सांख्यिकी मंत्रालय की है। राज्य स्तर पर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (या समकक्ष) द्वारा सांख्यिकी मंत्रालय की तरह ही कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित है। वीएनआर रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सांख्यिकी मंत्रालय डाटा उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के साथ अद्यतन डाटा में अंतरालों का चिन्हिकरण तथा विधियों के लिए नियमित रूप से सम्मेलनों का आयोजन करता है तथा उपचारात्मक कार्रवाई करता है।

एमडीजी के संदर्भ में, सांख्यिकी मंत्रालय ने कई अवरोधों जैसेकि उप-राज्य स्तरों पर डाटा अंतर से संबंधित मामले, वार्षिक डाटा अद्यतन की कमी, डाटा की अनियमित आवधिकता एवं प्रशासनिक अभिलेखों से प्राप्त डाटा की अपूर्ण व्याप्ति पर प्रकाश डाला था। नीति आयोग ने भी विशेष रूप से राज्य, जिला एवं *ग्राम पंचायत* स्तरों पर डाटा की उपलब्धता से संबंधित कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।

वीएनआर रिपोर्ट आवश्यक वित्तीय एवं मानव संसाधनों को उपलब्ध करके, डाटा अंतरों की पूर्ति एवं नए डाटा स्रोतों को चिन्हित करके देश में सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने हेतु उपायों का उल्लेख करती है। इसने प्रौद्योगिकी की सहायता से डाटा प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु पहलुओं पर भी प्रकाश डाला।

संकेतकों हेतु डाटा उपलब्धता पर, सांख्यिकी मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि संकेतकों को डाटा स्रोत मंत्रालयों/विभागों एवं अन्य हितधारकों के साथ विस्तार से परामर्श करने के बाद एवं डाटा उपलब्धता के पहलू स्वीकार करने के बाद एनआईएफ में शामिल किया गया है। एनआईएफ के अध्ययन से प्रकट होता है कि दो संकेतकों

को छोड़कर सभी संकेतको के लिए डाटा उपलब्धता की आवधिकता फ्रेमवर्क में दर्शायी गई है जिसमे 81 *प्रतिशत* मामलों में यह अवधि वार्षिक है।

4.3.4 अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने की प्रक्रिया

व्यवस्थित अनुसरण, प्रगति का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करना 2030 कार्यसूची की एक मुख्य विशेषता है। नीति आयोग ने बताया (जुलाई 2018) कि सामान्य तौर पर वह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन में व्यवस्थित अनुसरण, अनुवीक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसाकि पैरा 4.2 में बताया गया, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा डैशबोर्डों सहित रिपोर्ट करने के तंत्रों को तैयार करना अपेक्षित है। नवम्बर 2018 में एनआईएफ के प्रकाशन के बाद मार्च 2019 में 169 संकेतकों के संबंध मे बेसलाइन डाटा तैयार किया गया तथा एनआईएफ पर आधारित एसडीजी डैशबोर्ड को विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सहभागिता से एक प्रक्रिया शुरू की गई है। फिर भी, एनआईएफ एवं बेसलाइन डाटा को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा 'मुख्य-पड़ाव' तैयार करने हेतु किसी भी योजना के अभाव में एसडीजी के लिए अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बाधित होने की संभावना है। इसी बीच, नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी निकाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग हेतु 62 प्राथमिकता सूचकों पर आधारित एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड बनाया एवं एक एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट जारी की जिसका वर्णन इस रिपोर्ट के पैरा 4.3.2 में किया गया है।

4.3.5 राज्य स्तर पर संकेतक, डाटा उपलब्धता एवं अनुवीक्षण

जबकि सांख्यिकी मंत्रालय ने एनआईएफ, स्थानीय स्तर के डाटा स्रोतों, एसडीजी हेतु राज्य सांख्यिकीय प्रणाली एवं डाटा अंतरों को पूरा करने हेतु कार्यनीति जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए थे, फिर भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई लिखित अनुदेश राज्य संकेतक फ्रेमवर्क के विकास हेतु सांख्यिकी मंत्रालय के एनआईएफ का प्रयोग करने के लिए जारी नहीं किए गए थे। सात चयनित राज्यों में लेखापरीक्षा जांच ने डाटा स्रोतों का चिन्हिकरण, संकेतक फ्रेमवर्क की तैयारी एवं

अनुवीक्षण और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया जैसे मामलों में कार्य के विभिन्न स्तरों को प्रकट किया जैसाकि **तालिका 4.2** में दिया गया हैः

तालिका 4.2: चयनित राज्यों में संकेतक, डाटा उपलब्धता एवं अनुवीक्षण

असम	• 59 संकेतकों में से 45 को पुराने डाटा (2008 तक पुराना) के आधार पर अंतिम रूप (मार्च 2018) दिया गया। • विभिन्न स्तरों पर एसडीजी के तहत कार्य की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए डाटा की यथार्थता एवं सूचना को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र का अभाव। • राज्य सरकार ने सूचित (फरवरी 2018) किया कि आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुवीक्षण किया जाएगा जो जून 2019 तक क्रियाशील होगा।
छत्तीसगढ़	• एसडीजी हेतु राज्य प्रमुख संगठन ने बताया (जून 2019) कि राज्य संकेतक फ्रेमवर्क का कार्य प्रक्रियाधीन है। उसने यह भी सूचित किया कि राज्य डाटा को अपलोड करने हेतु राष्ट्रीय डैशबोर्ड का निर्धारण किया जाएगा तथा अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
हरियाणा	• राज्य ने विज़न 2030 में चालू फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित 60 एसडीजी उद्देश्यों के लिए 108 संकेतकों एवं 'मुख्य-पड़ावों' को चिन्हित किया। • राज्य सरकार इन संकेतकों पर सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एनआईएफ के आधार पर पुनः विचार करना चाहती है। • यद्यपि एसडीजी समन्वय केंद्र स्थापित (अक्तूबर 2018) किया गया है; फिर भी एसडीजी वेबसाइट एवं ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से समवर्ती अनुवीक्षण एवं डाटा प्रतिपुष्टि हेतु तंत्र, जिस पर विचार किया गया, अभी शुरू होना बाकी है।
केरल	• कार्यदलों ने प्रत्येक सूचक के लिए डाटा उपलब्धता, उनके स्रोत, आवधिकता पर चर्चा की, नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की समीक्षा की एवं 306 संकेतकों में से 134 के डाटा एकत्रित किया। • संकेतकों हेतु विभिन्न स्रोत से लगातार डाटा प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 32 संकेतकों हेतु नए सर्वेक्षण प्रस्तावित हैं।

	• राज्य अनुवीक्षण समूह (एसएमजी) ने क्षमता निर्माण के लिए एवं विशेष सर्वेक्षणों को आरंभ करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। • एसडीजी हेतु डैशबोर्ड सहित डाटा प्रबंधन प्रणाली की तैयारी जारी है।
महाराष्ट्र	• लेखापरीक्षा के दौरान डाटा स्रोत, संकेतकों को चिन्हित करने के संबंध में कोई विशेष कार्रवाई नहीं पाई गई। • प्रमुख विभाग ने बताया कि एसडीजी के संबंध में विभिन्न डाटा स्रोतों को एनआईएफ के आधार पर ठीक किया जाएगा। • राज्य सरकार ने यूएन इंडिया के साथ-साथ राज्य एवं जिला दोनों स्तर पर मुख्य विकास परिणामों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए अनुवीक्षण प्रणाली के विकास हेतु एक समझौता किया। • राज्य सरकार ने नीति आयोग को सूचित किया (फरवरी 2018) कि एसडीजी के अनुवीक्षण के लिए यूएन एजेंसियों की सहायता सहित एक डैशबोर्ड विकसित करने की अपनी योजना है जो तैयारी के अधीन होना सूचित किया गया (जनवरी 2019)।
उत्तर प्रदेश	राज्य विज़न-2030 के निलंबित अंतिमीकरण के कारण एसडीजी के कार्यान्वयन की प्रगति के अनुवीक्षण हेतु संकेतकों या डाटा को अंतिम रूप देने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
पश्चिम बंगाल	• आठ क्षेत्रों के तहत उद्देश्यों से संबंधित मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) विकसित किये गये, तथापि क्षेत्रीय दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने शेष थे। • राज्य द्वारा एसडीजी के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु अपेक्षित डाटा के चिन्हिकरण के संबंध में कोई भी कार्रवाई शुरू की जानी बाकी थी। • राज्य सरकार ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि अपने विभागों द्वारा चिन्हित सूचकों पर आधारित, राज्य डैशबोर्ड के माध्यम से अनुवीक्षण हेतु मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा, जिस पर अमल होना बाकी था (जनवरी 2019)।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एनआईएफ को अंतिम रूप देने एवं लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में देरी से 2030 कार्यसूची हेतु बेसलाइन डाटा को चिन्हित करने एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों के सूत्रीकरण में भी देर लगी। राज्यों द्वारा अभी भी संकेतक फ्रेमवर्कों को मजबूत करना बाकी है एवं एनआईएफ को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण

बेसलाइन डाटा की प्रगति बाधित हो रही थी। इस विलंब से 2030 कार्यसूची के समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ अनुवीक्षण एवं अपेक्षित रिपोर्ट करने के तंत्र की स्थापना में रुकावट होगी।

4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2030 कार्यसूची अपने प्रभावी एवं शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्थित अनुवर्ती, अनुवीक्षण एवं सभी स्तरों पर प्रगति की समीक्षा की परिकल्पना करता है। एसडीजी के कार्यान्वयन को समन्वित करने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु उत्तरदायी प्रमुख संस्थान नीति आयोग है। अनुवीक्षण एवं समीक्षा को समर्थ करने के लिए सांख्यिकी मंत्रालय को एनआईएफ का विकास करने का कार्य सौंपा गया जो नवम्बर 2018 में ही प्रकाशित हो पाया। परिणामस्वरूप, उचित अनुवीक्षण एवं रिपोर्ट करने फ्रेमवर्क के महत्वपूर्ण कार्य जैसे बेसलाइन डाटा की तैयारी मार्च 2019 में ही पूर्ण हो पाई। उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु मुख्य-पड़ावों को समय के साथ संरेखित नहीं किया गया था। सात चयनित राज्यों में, संकेतकों को विकसित करने एवं डाटा स्रोतों को चिन्हित करने के कार्य में प्रगति का अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत:, एसडीजी के कार्यान्वयन पर प्रगति की अनुवीक्षा, मूल्यांकन एवं रिपोर्ट करने हेतु मजबूत तंत्र का सृजन आवश्यक है जिसके लिए तत्काल एवं ध्यान देने योग्य कार्रवाई की आवश्यकता है।